

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री अनिरुद्ध नारायण सिंह, सिंचाई प्रमण्डल मुरलीगंज के अधीन सहायक अभियंता सिंचाई अवर प्रमण्डल उदाकिशनगंज के रूप में पदस्थापन अवधि में वर्ष 2004 में उनके प्रभार के अन्तर्गत कतिपय नहरों के तीन स्थलों पर टुटान में नहर संचालन में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में कमी के लिए दोषी पाये जाने के कारण जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा ज्ञापांक- 654 दिनांक- 28.08.2004 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। कैंडर विभाजन के क्रम में आरोप से संबंधित अभिलेख जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को वर्ष 2005 में प्राप्त होने पर प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय ज्ञापांक- 2621 दिनांक- 17.10.2008 द्वारा निम्न लघु दण्ड संसूचित किया गया :-

(क) निन्दन वर्ष (2004-05)

(ख) तीन वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभार से रोक।

श्री सिंह द्वारा उक्त दण्ड को चुनौति लगभग 5 वर्षों के बाद W.P(S) No. 5050 /2013 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के समक्ष दी गई। इसे न्यायनिर्णय दिनांक- 06.04.2015 द्वारा अमान्य किया गया। उक्त न्याय निर्णय दिनांक- 06.04.2015 की चुनौति श्री सिंह द्वारा L.P.A No. 228/2015, के द्वारा दिया गया। जिसमें माननीय खण्डपीठ उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक- 11.07.2017 निम्नवत् है -

" Hence, there being no substance in this Letters Patent Appeal and, therefore, the same is hereby, dismissed with a cost of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand) which will be paid by this appellant before the Water Resources Department, State of Jharkhand within a period of four weeks from today, failing which, the said amount will be deducted in ten installments from the pension of this appellant or from the gratuity of this appellant."

विभागीय पत्रांक- 5073 दिनांक- 01.12.2017 द्वारा L.P.A No. 228/2015, अनिरुद्ध नारायण सिंह बनाम झारखण्ड सरकार में दिनांक- 11.07.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में 10000/- (दस हजार रुपये) सरकारी खजाने में जमा नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त राशि की कटौती क्यों नहीं श्री सिंह के पेंशन से दस किस्तों में अथवा अवशेष उपादान से एकमुश्त कर लिया जाय। इस संबंध में श्री सिंह से प्रतिक्रिया माँगी गयी।

श्री सिंह द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया में अनुरोध किया गया कि L.P.A No. 228/2015 में दिनांक- 11.07.2017 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP (C) 31185/2017 दायर किया गया है ऐसे में उक्त SLP के निर्णय तक कटौती की राशि को स्थगित रखा जाय।

श्री सिंह से प्राप्त प्रतिक्रिया /स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह ने अपने प्रतिक्रिया के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी Interim Order/ Order की प्रति संलग्न नहीं किया गया है। SLP (C) 31185/2017 में अभी

तक Notice Serve होने की सूचना भी नहीं है साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के Website पर इस संख्या का कोई केस नहीं दिखा है।

सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सिंह के प्रतिक्रिया/स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक- 11.07.2017 के अनुपालन में 10000/- (दस हजार) रूपया की कटौती उनके अवशेष उपादान से एकमुश्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।
उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1677 राँची / दिनांक 05-04-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/उप सचिव, (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान ~~अधीक्षण~~ सं०-02, देवघर/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना एवं अन्वेषण, प्रमण्डल सं०-02, देवघर/श्री अनिरुद्ध नारायण सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, पता- पलैट नं०-103, सुशीला रेजीडेन्सी, आनन्दपुरी, पूर्वी बोरिंग केनाल रोड, पटना-800001/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ✓

(Handwritten signature and date)
04/04/2018

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव